"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 318] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2002—अग्रहायण 11, शक 1924

राजस्व, राहत एवं पुनर्वास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4941/राजस्व/2002.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 3 एवं सहपठित धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का गठन करती है तथा राजस्व मण्डल का प्रधान स्थान बिलासपुर नियत करती है.

Raipur, the 2nd December 2002

NOTIFICATION

No. F 4941/Revenue/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 3 and read with sub-section (1) of section 4 of Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, the State Government, hereby, constitutes Board of Revenue of Chhattisgarh and appoints the Principal seat of Board of Revenue at Bilaspur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, अवर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.